2. परिभाषा:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए/क) 'अपर रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

(ए/क-एक) 'शीर्ष सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हों, क्रियाकरण के लिये सुविधाएं देना हो और जिसके क्रियाक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर हो;

(बी/ख) 'सहायक रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

(बी/ख-एक) 'कार्यक्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;

(बी/ख-दो) 'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है धारा 57-ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी;

(सी/ग) 'उपविधियों' से अभिप्रेत है वे उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती हों तथा जो तत्समय प्रवृत्त हों, और उनके अंतर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन आता है;

(सी/ग-एक) 'केन्द्रीय सोसाइटी' से अभिप्रेत है सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या कोई अन्य सोसाइटी, जिसका क्रियाक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, और जिसका प्रधान उद्देश्य प्रधान उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना और उसी प्रकार की सोसाइटियों के क्रियाकरण के लिये तथा अपने से संबद्ध अन्य सोसाइटियों के लिये सुविधाओं का उपलब्ध करना हो और जिसके कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां हों;

(सी/ग-दो) ''केन्द्रीय सहकारी बैंक'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो; और-

(एक) जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो; और

(दो) जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिये निधियों का सृजन करें और कृषिक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिये उन सहकारी सोसाइटियों के लिये क्रेडिट, माल या सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट, माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करे।]

(सी/ग-तीन) 'कम्पनी' से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी;

(सी/ग-चार) 'सहकारी संघ' से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है;

(डी/घ) 'संचालक मंडल' से अभिप्रेत है, धारा 48 के अधीन गठित किसी सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा शासी निकाय या प्रबंध बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो; जिसे किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का संचालन और नियंत्रण सौंपा गया हो;

(डी/घ-एक) 'सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो;]

(घ-दो) 'सहकारी साख संरचना' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी;

(ई/ङ) 'परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई हो, जो कि उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त हो, तक परिसीमित हो या ऐसी रकम जिसका कि, उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा वे अपने ऊपर लें, तक परिसीमित हों;

(ई/ङ -एक) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' से अभिप्रेत है धारा 49 (ङ) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुये संचालक मंडल द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है;

(जी/छ) 'उपभोक्ता सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिये माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उनके लिये अन्य सेवायें करने के तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में, जो कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित किया जाये, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई हों;

(जी/छ-एक) 'प्रत्यायुक्त' से अभिप्रेत है व्यष्टिक सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति;

(जी/छ-दो) 'डिपाजिट इन्शोरेन्स एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन' से अभिप्रेत है डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड गारन्टी कार्पोरेशन एक्ट, 1961 (1961 का सं. 47) के अधीन स्थापित डिपाजिट इन्श्योरेन्स एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन;

(एच/ज) 'उप रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई उप रजिस्ट्रार;

(एच एच/जज) 'विकास बैंक' से अभिप्रेत है इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया कोई सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(आई/झ) 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी

संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्तत: निवास करने वाले अन्य नातेदार;

(जे/ञ) 'कृषि फर्म सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत आती है बेहतर कृषि फर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी तथा फसल संरक्षण सोसाइटी;

(के/ट) 'संघीय सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसकी अंशपूंजी का, सरकारी अंशपूंजी को अपवर्जित करते हुए, कम से कम पचास प्रतिशत सोसाइटियों द्वारा धारित हो;

(एल/ठ) 'वित्तदायी बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है, और उसके अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक, सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंक और जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(एल/ठ-एक) 'वित्तदायी संस्था' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी संस्था या संगठन जो सहकारी सोसाइटी या किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता या अग्रिम या उधार देता है;

(एम/ड) 'साधारण सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष (एक) से (नौ) तक में से किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत न आती हो;

(एन/ढ) 'गृह निर्माण सोसाइटी' से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिये भू-खण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ और/या यदि भू-खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिये हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख-सुविधायें और सेवायें जिसमें गृह निर्माण वित्त पोषण सम्मिलित है, उपलब्ध कराना;

(ढ-एक) 'औद्योगिक सोसाइटी' से अभिप्रेत है बुनकर, बढ़ई, धातुकर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से विरचित कोई सोसाइटी;

(ओ/ण) 'संयुक्त रजिस्ट्रार' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार;

(पी/त) 'समापक' से अभिप्रेत है धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(क्यू/थ) 'विपणन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसके उद्देश्यों में ऐसी उपज के लिये अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो;

(आर/द) 'सदस्य' से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी को अंशपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है;

(द-एक) ''बहुराज्य सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी, जिसके उद्देश्य एक ही राज्य तक सीमित न हों और जो ऐसी सहकारी संस्थाओं के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई हों;

(एस/ध) 'बहुप्रयोजन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में उन प्राथमिक उद्देश्यों में से, जो कि खण्ड (जी/छ), (एन/ढ), (वी/फ) तथा (वाय/म) में से किन्हीं भी दो या अधिक खण्डों में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, कोई प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हो;

(एस/ध-एक) ''राष्ट्रीय बैंक'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(टी/न) 'नाममात्र का सदस्य' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो;

(टी/न-एक) 'अधिकारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो और उसके अंतर्गत कोई सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, संचालक मंडल का सदस्य तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिये इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, आता है;

(यू/प) 'अन्य पिछड़े वर्ग' से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(यू/प-एक) 'प्राथमिक सोसाइटी' से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न केन्द्रीय सोसाइटी;

(यू/प-दो) 'प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी' से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिये उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है;

(यू/प-तीन) 'प्राथमिक सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम,

1949 (1949 का सं. 10) के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिये अनुज्ञात है;

(वी/फ) 'उत्पादक सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है और उसके अंतर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोजन के उद्देश्य से बनाई गई है;

(डब्ल्यू/ब) 'प्रसंस्करण सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी, जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिये हो, आती है;

(भ) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार और बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार;

(एक्स/भ-एक) 'प्रतिनिधि' से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे;

(एक्स/भ-दो) 'रिजर्व बैंक' से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया;

(वाय/म) 'संसाधन सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिये उधार (क्रेडिट), माल या सेवायें, जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करें और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती हैं;

(वाय/म-एक) 'रिटर्निंग अधिकारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो या अनुमोदित किया हो कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करे और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है जिसे उसने इस हेतु लिखित में नामनिर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कतिपय कर्तव्यों का पालन करे और उसकी सहायता करे;

(वाय/म-दो) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 के अधीन घोषित किया गया है;

(जेड/य) 'सोसाइटी'से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

(जेड/य-एक) 'विनिर्दिष्ट पद' से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद;.

(एए/कक) 'राज्य सहकारी बैंक' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित;

(ककक) ''राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राज्य में हो और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई हो;

(बी बी/ख ख) 'विद्यार्थी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है;

(सी सी/ग ग) 'अधिकरण' से अभिप्रेत है धारा 77 के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण;